**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 1216**

**16.08.2013 को दिया जाने वाला उत्‍तर**

**अतिक्रमण की गई रेलवे भूमि पर रहने वाले लोगों का पुनर्वास**

**1216. श्री भगत सिंह कोश्‍यारी:**

क्‍या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

1. देश में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण करने वाले लोगों का ब्‍यौरा क्‍या है तथा उनके पुनर्वास की वर्तमान स्थिति क्‍या है;
2. इस प्रयोजनार्थ चिन्हित किए गए स्‍थानों का ब्‍यौरा क्‍या है और उन पर हुए/होने वाले खर्च का ब्‍यौरा क्‍या है;
3. क्‍या रेलवे ने देश में पुनर्वासित किए जाने वाले ऐसे व्‍यक्तियों की संख्‍या का आकलन किया है ;
4. यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा है; और
5. इसके कार्यान्‍वयन हेतु क्‍या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

**उत्‍तर**

**रेल मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री कोटला जय सूर्य प्रकाश रेड्डी)**

(क) से (ड.): रेलवे की 2337 एकड़ क्षेत्र की भूमि पर लगभग 1.21 लाख अतिक्रमण हैं.

आवास राज्‍य का विषय है इसलिए स्‍लम निवासियों का पुनर्वास और पुनरूद्धार राज्‍य सरकार की जिम्‍मेदारी है. आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने राजीव गांधी आवास योजना (आरएवाई) प्रारंभ की है जिसमें स्‍लम मुक्‍त भारत और संपूर्ण शहर की स्‍लम मुक्‍त अप्रोच को ध्‍यान में रखा गया है. इस संबंध में, संबंधित राज्‍य सरकारों द्वारा स्‍लम मुक्‍त शहर की पहचान की जाएगी. शुरूआत में, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 250 शहरों को लिया जाएगा. जब कभी इस योजना के तहत स्‍लम निवासियों के पुनर्वास और पुनरूद्धार के लिए शहर का चुनाव किया जाएगा तो रेल मंत्रालय संबंधित राज्‍य सरकार के साथ काम करेगा.

\*\*\*\*\*